कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /1-4-1 :देहरादूनःदिनांकः20 अप्रैल, 2015

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

(2) मुख्य अभियन्ता URRDA, PMGSY सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित प्रकरणो की समीक्षा हेतु दिनाक 10–04–2015, को विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक आहुत की गयी थी। उक्त बैठक में चर्चा के दौरान वन भूमि पर प्रस्तावित ऑन–लाईन अपलोड किये गये विकास परियोजना के प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभागों द्वारा कतिपय कठिनाईयां बताई गयी। इस विडियो कान्फ्रेंसिंग में ही समस्त अधिकारियो / कर्मचारियों को त्रुटि रहित प्रस्तावों को अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से समझाया गया। इसी कम मे मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे मोटर मार्गो के निर्माण हेतु ऑन लाईन अपलोड किये जाने वाले वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में पायी जाने वाली सामान्य त्रृटियों के निवारण किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2965 /1–41 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख वन सरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वन।
3. सचिव, मा. मुख्या मंत्री जी के सज्ञानार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त वन सरक्षक ।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन–लाईन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देशः–

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 15–08–2014 के क्रम में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों का भातर सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन अपलोड किया जाता है जिससे यह प्रस्ताव सार्वजनिक व पारदर्शी होते हैं। प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी सूचना सार्वजनिक तौर पर बिना आर0टी0आई0 आवेदन के जन सामान्य को उपलब्ध होती है, जिसमें किसी भी त्रृटि के आधार माननीय सवोच्च **न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,** आदि में वन भूमि **हस्तान्तरण स्वीकृतियों को चुनौती दी जा सकती है"**। अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में दी जाने वाली जानकारी पूर्णतः सही व त्रृटिमुक्त होना आवश्यक है।

क– Form A Part I में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जानी वाली सामान्य गलतियॉ और उनका निवारण।

A-1 - Project details - प्रोजेक्ट का नाम–

- ☐ प्रोजेक्ट का नाम भरते वक्त प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के आरम्भिक विंदु व अंतिम बिंदु का कि0मी0 वार विवरण आवश्यक भरा जाये।
- ☐ प्रोजेक्ट के नाम के साथ जनपद और विधान क्षेत्र का भी नाम उल्लेख किया जाना है।

A-2 - Details of User Agency –

A-2(i) में **प्रस्तावक विभाग का पूरा नाम, पता सहित भरा जाना है।** उदा: "Executive Engineer Construction Division, PWD, Almora"

A-2 (xi) व A-3(xvi) में mobile no. किसी जिम्मेदार अधिकारी का दिया जाए जो आनलाईन प्रकिया तथा प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण की पूर्ण जानकारी हो।

A-2(xiv) में Legal Status of User Agency 'State Government' भरा जाना है, चाहे परियोजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। 'State Government' के स्थान पर यदि 'Central Government' अंकित किया जाता है तो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Form A Part-I का L. section नहीं खुलता है।

B-2.4 - Component wise breakup

प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्रण प्रकरण का अवयव विवरण निम्न प्रकार दिया जाना है:–

- ☐ Area of actual road cutting :– जिसमें कटिंग और वृक्षों का पातन निहित है।
- ☐ Area diverted but no cutting involved –मार्ग के दोनों और हस्तान्तरित क्षेत्र जिसमें कटिंग वक्षों का पातन निहित नहीं है।

☐ Additional area for Muck disposal – मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त वन भूमि/गैर वन भूमि की आवश्यकता

C(b) में .kml अपलोड करते समय निम्न बाते ध्यान रखनी है –

- ☐ .kml में प्रस्तावित संमरेखण, वर्तमान में उपस्थित या निर्माणाधीन मोटर मार्ग व वैकल्पिक समरेखण को कमशः लाल, सफेद व नीले रंगों में मार्ग का प्रारम्भिक और अंतिम विन्दु व संमरेखण मे जुडने वाले गाँवों का नाम सहित दर्शाया जाए।
- ☐ .kml में मलवा निस्तारण स्थानों का polygon दर्शाया जाए।
- ☐ .kml बनाते समय सम्बन्धित check box को tick होना चाहिये अन्यथा अपलोड किए गए kml खोलते समय समरेखण प्रदर्शित नहीं होता है।
- ☐ .kml के स्थान पर .kmz अपलोड न की जाय।

C (iii) व (iv) - Survey of India Toposheet and Georeferenced maps–

इसमे समरेखण में सम्मिलित या आसपास उपस्थित आरक्षित वनों की डिजिटल सीमा भी दर्शाया जाना है। यदि संमरेखण आरक्षित वन से गुजरता है तो आरक्षित वन का कक्ष संख्या भी (Compartment numbers) भी दिखाया जाना है।

D- Justification for locating the Project in Forest land and details of alternatives examined –

इस स्थान पर संरेखण के वन भूमि से गुजरने की अनिवार्यता पर सुस्पष्ट टिप्पणी लिखनी है, जबकि प्रायः देखा जा रहा है कि मात्र प्रस्ताव का शासनादेश व अनिवार्यता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

G- Details of Cost Benefit analysis for the Project –

वन भूमि की मॉग अगर 5 हे0 से अधिक है तो Cost Benefit analysis भी लगाना है इसमें प्रस्ताव के लाभ–लागत विश्लेषण का मात्रात्मक परिमाण अंकित किया जाना है।

K- FRA related documents

इस स्थान पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिकार अधिनियम, 2006 के निर्धारित प्रपत्रों मे प्रमाण पत्र सलग्नो सहित अपलोड किए जाते है जिसमें प्रायः देखा जा रहा है कि जिलास्तरीय समिति की बैठक, उप खण्ड स्तरीय बैठक व ग्राम स्तरीय बैठक की तिथियॉ अंकित नहीं है या अंकित हो तो यह सिलसिलेवार नहीं होते है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक के पश्चात ही उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आहूत की जानी है जिसके पश्चात ही जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक होनी है। तीनों बैठकें पूर्ण होने के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है कि वनाधिकार से संबंधित प्रकियाऐं पूर्ण हो चुकी है। साथ ही प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जिलाधिकारी का नाम, **मोहर** व तिथियुक्त हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं ताकि प्रमाण पत्र की वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाया जा सके। जिलाधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारियों का हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

L- क्षतिपूरक वृक्षारोपण –

राज्य सरकार के प्रस्तावक विभागों द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक 1 है0 से अधिक की वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनिवार्य होता है। अतः Form A Part I के L(i) भाग में 'Yes' भरना है और L(ii) भाग में 'No' अंकित किया जाना है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने की दशा में प्रस्ताव हेतु मॉग की गइ भूमि के बराबर ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध करानी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (वन पंचायत, सिविल वन भूमि (Non ZA 9(3)क, 9(3)ख तथा ZA 5(3)क, 5(3)ख) एंव अन्य वन आच्छादित भूमि) चयनित की जायेगी तो वन भूमि की मॉग के दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध करानी है।

L(iv) No. of Patches – इसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण कितने टुकडों (patches) में हो रहे है उनकी सख्या भरनी है।

L(iv)b इस स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का क्षेत्रफल भरना है।

L(iv)c - .kml – इस स्थान पर क्षतिपूरक के चयनित क्षेत्र का Polygon का .kml अपलोड किया जाना है, जिसमें क्षेत्र की सीमा, नाम व क्षेत्रफल अंकित करना है। Polygon क्षेत्र को रंगीन नही करना है, पारदर्शी ही रखना है, ताकि गूगूल एर्थ में क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखा जा सके।

L(iv)d- इस स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का खसरा संख्या / खेत संख्या अंकित करना है।

L(iv)f- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का स्वामित्व का साक्ष्य अपलोड किया जाना है, इसमें राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त क्षेत्र की स्वामित्व वाली खतौनी अपलोड की जानी है।

L(iv)g- इस स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का प्रस्तावक विभाग के पक्ष राजस्व विभाग द्वारा निर्गत की गई आवटन पत्र अपलोड की जानी है।

L(iv)h- इस स्थान पर राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है, जिसमे बताना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चयनित उक्त क्षेत्र का अन्य किसी कार्य / योजना / प्रस्ताव हेतु आवटन नही हुआ है।

L(v) व (vi)- इस स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के मानचित्र अपलोड किये जाने है। इसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का Polygon तथा क्षेत्र के आस–पास के आरक्षित वन की सीमाएं भी दर्शायी जानी है।

Additional Information –

इस स्थान पर प्रस्ताव से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचनाओं को अपलोड किया जाना है, इसमे प्रत्येक सूचना को पृथक–पृथक अपलोड करना है तथा सम्पूर्ण प्रस्ताव को एक साथ अपलोड *नहीं* करना है, साथ ही जो सूचना Part-I मे भरते समय अपलोड किये गये है उसे फिर से यहॉ पर अपलोड करने की आवश्यकता नही है।

इसमें प्रस्ताव की प्रतिवेदन, प्रशासनिक स्वीकृति, प्राथमिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, लैण्ड शैड्यूल, बार चार्ट, भू:वैज्ञानिक, टॉक फोर्स की आख्या, मलवा निस्तारण योजना जो कि भारत सरकार के गाइड लाईन के अनुसार बनी हो, प्रस्ताव के वन पंचायत में पड़ने की दशा में वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र, कोई अन्य अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो, आदि प्रस्ताव से सम्बन्धित सूचना एक–एक करके रिर्माक Remark column में सूचना की शीर्षक के साथ अपलोड की जानी है।

लैण्ड शैड्यूल मे आरक्षित वन सम्मिलित होने की स्थिति में कक्ष संख्या वार विवरण दिया जाए। वन पंचायत सम्मिलित होने की स्थिति मे वन पंचायत का नाम अंकित किया जाए। मलबा निस्तारण हेतु आवश्यक वन भूमि को भी लैण्ड शैड्यूल में दर्शाया जाए।

Part I में सारी सूचनाये उपलोड करने के बाद प्रस्ताव को lock करने से पूर्व स्वयं जॉच कर सतुष्ट हो लिया जाये कि प्रत्येक अभिलेख सही स्थान पर लगा है या नहीं।

ख. अपलोड किये गये प्रस्ताव में नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण।

नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मे आपत्तिया लगाने पर आनें लाईन आपलोड प्रस्ताव पुनः draft mode में चला जाता है। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार किया जाना है।

1–नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तिया अगर FormA-Part-I से सम्बन्धित है तो उनका संशोधन Part-I के उसी स्थान पर edit किया जना है।

2–नोडल अधिकारी द्वारा अगर प्रस्ताव से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना मॉगी गई है तो उसे additional information column में अपलोड करना है

3–नोडल अधिकारी द्वारा अगर प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका निराकरण EDS मे ही उत्तर देकर किया जाना है।

ग – नोडल अधिकारी कार्यालय से प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद की कार्यवाही

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ प्ररताव नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी के पास एक 'regarding acceptance of proposal' की सूचना प्रेषित होती है तथा उनके ई–मेल पर प्रस्ताव स्वीकार होने की सूचना तथा Acknowledgement slip का प्रारूप प्राप्त होते है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा कर उपरोक्त Acknowledgement slip में सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय की प्राप्ति व कार्यालय मोहर लगाकर इसे स्कैन कर EDS में अपलोड करना है।

प्राय देखा जा रहा है की प्राप्ति रसीद सही प्रारूप मे नहीं अपलोड किया जा रहा है तथा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय की प्राप्ति का कोई प्रमाण जैसे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पदनाम व कार्यालय मोहर आदि क

बिना ही Acknowledgement slip अपलोड किया जा रहा है। अतः इसमें उपरोक्तानुसार बतायी गई जानकारी में अनुसार ही प्राप्ति रसीद अपलोड की जानी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त के सम्बन्ध में यदि कोई शका हो तो कृपया इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि उचित दिशा निर्देश दिया जा सके।

अपर प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून